

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-6, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०— /2026

सरकार बनाम अमित चौहान।

दिनांक: 13.05.2026

अभियुक्त अमित चौहान की ओर से मु०अ०सं०-201/2026, धारा-281,125ए,125बी. बी.एन.एस., थाना-कैण्ट, जिला-बरेली के प्रकरण में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे अपनी-अपनी उचित जमानत देने के लिए तैयार हैं।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित न्यायालय में किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कथित कारित अपराध में 07 साल अथवा उससे कम सजा का प्रावधान है। अतः प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी०बी०आई० 2021(10) एस०सी०सी० 773 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अमित चौहान की ओर से मु०अ०सं०-201/2026, धारा-281,125ए,125बी. बी.एन.एस., थाना-कैण्ट, जिला-बरेली के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग 20,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(शुभम्)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-6, बरेली

(J.O. Code- UP3316)